(34)

3345
निग- 3345- II-16

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मोती महल ग्वालियर म0प्र0

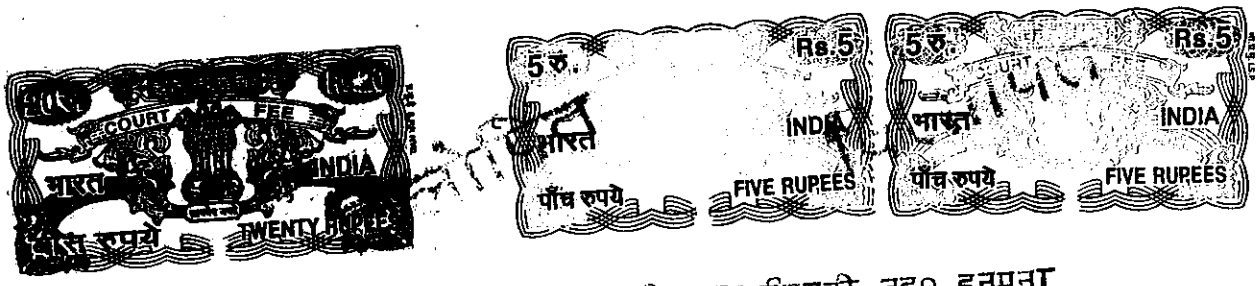

शिवनाथ तनय सहदेव जाति चमार निवासी ग्राम सिगटी तह0 हनुमना
--आवेदक
जिला रीवा म0प्र0

बनाम

अमोल पाण्डेय पिता राजकरण पाण्डेय नि0 सिगटी तह0 हनुमना जिला
— अनावेदक
रीवा म0प्र0

स्वमेव निगरानी विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार प्र0क्र021अ70/2015- 16 दर्ज प्रकरण दिनांक 31/3/2016 के विरुद्ध प्रचलनशील न होने के सम्बन्ध में

स्वमेव निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, अभि० द्वारा आज दि 27-9-16 को प्रस्तुत

27-9-16

73
27-9-16

श्री के सिंह प्र0 रीवा
27-9-16

मान्यवर,

स्वमेव निगरानी के संक्षिप्त विवरण निम्न

[1] यहकि आराजी खसरा क्र0 499 रकवा 3.40 एकड़ स्थित ग्राम सिगटी की भूमि परआवेदक का भूमिहीन की श्रेणी में मानाजाकर निरन्तर आवेदक का कब्जा दखल वर्ष 1984 के पूर्व से यानी 75-76, 76-77, 85-86, 86-87 से कब्जा निरन्तर दर्ज रहा आया आवेदक चूंकि भूमिहीन है और कृषक श्रमिक है वह आवेदक हल बैल से भूमि को जोत बोकर अपने परिवार का भरण पोषण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 3345–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–04–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की 50 के अन्तर्गत तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 21/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31–3–16 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति एवं निगरानी मेमो का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 31–3–16 को इस न्यायालय में चुनौती दी गई है। प्रश्नाधीन आदेश में तहसीलदार ने अनावेदकगण (अधीनस्थ न्यायालय के आवेदक) के साक्ष्य ग्रहण कर उसका प्रतिपरीक्षण करने के उपरांत प्रकरण अनावेदक जो कि इस न्यायालय में आवेदक हैं, के साक्ष्य हेतु नियत किया है। तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। जहां तक आवेदक द्वारा उठाये तर्कों का प्रश्न है वे उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठा सकते हैं। अभी अधीनस्थ न्यायालय से आवेदकगण के विरूद्ध किसी प्रकार का ऐसा आदेश नहीं हुआ है जिसे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सके। 3/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक को पक्ष समर्थन एवं प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार कर विधिवत अंतिम आदेश पातिर करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	